राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक:-प.12(39)पपा/2014  जयपुर, दिनांक :- 21 DEC 2016

:\ आदेश :

राजस्थान पशुपालन सेवा नियम 1963 के अनुसार मतदान रिकॉर्ड, विभागीय
पदोन्नति समिति की अभिशाप के आधार पर राजस्थान पशुपालन सेवा के डॉ० महेश कुमार
यादव, पशु चिकित्सा अधिकारी को वर्ष 2008-09 की रिकॉर्ड के विरूद्ध वर्ष 2008-09
सहयोगी अधिकारी के अधीन पर बर्ष 2008 पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर (वेतन बैंड
15600-39100 रेड पे 6000/-अन्य) पदोन्नत किया जाता है।

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.सं.</th>
<th>नाम अधिकारी</th>
<th>वर्ग</th>
<th>वर्ष</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>डॉ० महेश कुमार यादव</td>
<td>सामान्य</td>
<td>2008-09</td>
</tr>
</tbody>
</table>

उपरोक्त पदोन्नति एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11308/2015, डॉ०
गोविन्द राम चौहान बनाम राज्य व अन्य तथा एस.बी.सिविल याचिका संख्या 18692/2012
डॉ० रामप्रकाश नायक बनाम सरकार तथा एस.बी.सिविल पिटिशन संख्या 15056/2016
डॉ० रेणु गोयल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्याधीन
होगी।

डॉ० महेश कुमार यादव का नाम वर्ष 2008-09 की चयन सूची में क्र.सं.25
पर अंकित डॉ० सुनील कुमार सोबती के नीचे तथा क्र.सं.27 पर अंकित डॉ० अशोक
कुमार/सामान्य के ऊपर रहेगा।

डॉ० महेश कुमार यादव यथावत कार्यरत रहेंगे तथा कार्यभार ग्रहण समीक्षा
इस प्रमाण को भिजवाएंगे।

राज्यपाल के आदेश से,

(पूनौ एल० गुप्ता)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विभिन्न सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
3. निदेशक, पशुपालन विभाग, राज०, जयपुर।
4. संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।